फार्म – ए

अंतर्गत न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समस्तीपुर उपस्थित :– समीर कुमार, सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर। निर्णय की तिथि – 20.06.2026 (सत्र वाद संख्या–710 / 2017 :: 316 / 2017) कल्याणपुर थाना कांड संख्या – 171 / 2015	
परिवादी	बिहार सरकार द्वारा जमीरी साह, पिता– स्व0 जनक साह, सा0–वीरसिंहपुर, थाना–कल्याणपुर , जिला–समस्तीपुर।
अभियोजन की ओर से	श्री शिव कुमार प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. गिरीजा देवी, पति– बन्टु साह 2. कमल साह 3. रविन्द्र साह दोनों पेसरान–बन्टु साह 4. सावित्री देवी, पति– रविन्द्र साह सभी सा0– वीरसिंहपुर थाना– कल्याणपुर जिला– समस्तीपुर।
बचाव पक्ष की ओर	सिकंदर कुमार, विद्वान अधिवक्ता

फार्म – बी

अपराध की तिथि	26.11.2015
प्राथमिकी की तिथि	27.11.2015
आरोप पत्र की तिथि	21.08.2016
आरोप–गठन की तिथि	15.03.2018
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि	02.09.2025
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	06.06.2026
निर्णय की तिथि	20.06.2026
सजा की तिथि	

Web Copy

अभियुक्त/ अभियुक्तगण की विवरणी :–

अभि का क्रम संख्या	अभियुक्त/ अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार होने की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप की धारा	विमुक्त/ सजा	अधिरोपित सजा	428 द0प्र0स0 के लिए विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में बिताया गया समय
1.	गिरजा देवी	25.07.2017	25.07.2017	147,148, 448/149, 308/149, 504/149, 323/149 भा0द0वि0	विमुक्त	—	—
2.	कमल साह	25.07.2017	25.07.2017	147,148, 448/149, 308/149, 504/149, 323/149 भा0द0वि0	विमुक्त	—	—
3.	रविन्द्र साह	25.07.2017	25.07.2017	147,148, 448/149, 308/149, 504/149, 323/149 भा0द0वि0	विमुक्त	—	—
4.	सावित्री देवी	25.07.2017	25.07.2017	147,148, 448/149, 308/149, 504/149, 323/149 भा0द0वि0	विमुक्त	—	—

Web Copy

फार्म – सी

अभियोजन/ बचाव पक्ष/ न्यायालय पक्ष

(क) अभियोजन साक्ष्य :–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
साक्षी संख्या–01	डाक्टर रामप्रवेश मंडल	चिकित्सक
साक्षी संख्या–02	शिबु साह	अन्य साक्षी
साक्षी संख्या– 03	रामो देवी	अन्य साक्षी

(ख) विपक्षी साक्ष्य :–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
नहीं	नहीं	नहीं

(ग) न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तो :–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
नहीं	नहीं	नहीं

अभियोजन/ बचाव पक्ष/ न्यायालय प्रदर्श की सूची :–

(क) अभियोजन :–

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
1	1	सूचक जमीरी साह के जख्म प्रतिवेदन पर चिकित्सक का हस्ताक्षर
2	2	जख्मी बुधन साह के जख्म प्रतिवेदन पर चिकित्सक का हस्ताक्षर।

(ख) बचाव पक्ष :–

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

Web Copy

(ग) न्यायालय प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(घ) वस्तु प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

नि र्ण य

1. अभियुक्त **1. गिरजा देवी 2. कमल साह, 3. रविन्द्र साह तथा 4. सावित्री देवी** का विचारण **धारा– 147,148, 448 / 149, 323 / 149 308 / 149, 504 / 149 भा0द0वि0** के अंतर्गत दण्डणीय अपराध के लिए किया गया।

2. औपचारिक प्राथमिकी कल्याणपुर थाना कांड संख्या – 171 / 2015 दिनांक 27.11.2015 ,अंतर्गत धारा–**147,148,448,149,323,324,308,504 भा0द0वि0** सूचक जमीरी साह, पिता– स्व0 जनक साह, ग्राम – वीरसिंहपुर, थाना–कल्याणपुर जिला– समस्तीपुर, के आवेदन पर दर्ज की गयी है। अपने आवेदन में सूचक का कहना है कि दिनांक 26.11.2015 को आठ बजे रात में पुराना विवाद को लेकर उसके पट्टीदार बन्टु साह, उसकी पत्नी गिरजा देवी, कमल साह, रविन्द्र साह, रोहित कुमार, रामु कुमार, पुनम देवी तथा सावित्री देवी सभी एक राय करके सूचक के दरवाजे पर आकर गाली गलौज करने लगे तथा जब सूचक गाली देने से मना किया तो उसके साथ लाठी डंडे व फरसा से मारपीट कर उसे जख्मी कर दिये। सूचक के उपर कमल साह फरसा से वार किया तो सूचक दाहिना हाथ से फरसा रोकना चाहा तो फरसा हाथ से छुटकर सूचक के सिर पर लगा और वह जख्मी हो गया, तभी बन्टु साह लाठी से सूचक को मारा। जब सूचक का लड़का बुधन साह बचाने गया तो कमल साह पुनः उसके लड़का के उपर फरसा चलाया जो कि उसके सिर पर लगा तथा अन्य व्यक्ति फैट मुक्के से सूचक के साथ मारपीट किये। सूचक तथा उसका लड़का का ईलाज प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र कल्याणपुर में किया गया।

3. लिखित आवेदन को आधार बनाकर कांड का अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के उपरांत पुलिस पदाधिकारी के द्वारा आरोप पत्र संख्या– 78/2016 दिनांक 21.08.2016 अंतर्गत धारा– 147,148,149,448,323,308,504

Web Copy

भा0द0वि0 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समस्तीपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पसमस्तीपुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2017 को इस कांड का संज्ञान धारा– **147,148,149,448,323,308,504 भा0द0वि0** के अंतर्गत लिया गया तथा दिनांक 28.08.2017 को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को पुलिस पेपर प्राप्त कराया गया एवं वाद का दौड़ा–सुपुर्द किया गया।

4. दिनांक 15.03.2018 को **अभियुक्त 1. गिरजा देवी 2. कमल साह, 3. रविन्द्र साह तथा 4. सावित्री देवी के विरूद्ध धारा– 147,148, 448/149, 323/149 308/149 ,504/149 भा0द0वि0** के तहत आरोप का गठन किया गया, तत्पश्चात आरोप उन्हें हिंदी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तगण आरोप से इंकार किये तथा वाद विचारण का दावा किया।

<u>**सा क्ष य**</u>

5. **अभियोजन साक्षी संख्या–1** डाक्टर राम प्रवेश मंडल हैं, अपने मुख्य परीक्षण में कहते हैं कि'' On 26.11.2015 he was posted at PHC Kalyanpur as a medical officer and on that day he examined at 9.30PM jamri Sah, Age about 60 yrs male, S/O- Late Janak Sah, of village- Birsingpur, P.S- Kalyanpur, Distt- Samastipur and found the following injuries on his person:-

Lacerated wound of left side of forehead size about 2inch X 1/2 inch x1/4inch.

M.I- A mole mark on right cheek.

Age of injury- within 02 hours.

Nature of Injury- Simple in nature.

Cause of injury- Hard & blunt object.

On same day at 09.40 PM, he also examined Budhan Sah, aged about 39 yrs, male, S/O- Jamri Sah, of village- Birsingpur, P.S- Kalyanpur, distt- Samastipur, and found following injuries on his person-

Lacerated wound of front of forehead size about 2inch x 1/2 inch x 1/4 inch.

M.I- A old cut marks on left wrist.

Web Copy

Age of Injury- Within 02 hours.

Nature of Injury- Simple in nature caused by hard and blunt object.

Both injury reports are in his pen and handwriting and it bears his singature also which he identified before the court and same is exhibited mark as Ext. No. 1 and 2.

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहता है कि वह अपने जख्म प्रतिवेदन में caused by hard & blunt object नहीं लिखा है। किसी भी जख्म में उसने खुन बहता घाव को नहीं लिखा है। दोनों जख्मी का जख्म सुपरफेसियल है। दोनों जख्मी का जख्म किसी Sharp cut weapon से नहीं हो सकता है। दोनों जख्मियों का जख्म जानलेवा भी नहीं है।

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 2** शिबु साह है, अपने मुख्य परीक्षण में कहता है कि जमीरी साह के घर के आगे उसका घर है और यह केस वही किया था। उसकी मृत्यु दो तीन साल पहले हो गयी। उसका चार बेटा है और बड़े बेटा का नाम राजकिशोर है, एक बेटा का नाम बुधन साह है जो बाहर रहकर कमाता है। यह घटना दस से बारह साल पहले की है। लगभग 08 से 09 बजे रात का समय था। झगड़ा जमीरी साह के घर पर हुआ था। झगड़ा खत्म होने के बाद हल्ला होने पर साक्षी वहां गया था। जब वह गया था तो उस समय तक घटना हो चुकी थी। जख्मी लोग ईलाज के लिए अस्पताल जा चूके थे। साक्षी कहता है कि वह घटना होते हुए नहीं देखा था। साक्षी का कहना है कि जमीरी साह और बुधन को जख्म हुआ था।

अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराया गया है तथा अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि पुलिस के समक्ष दिये बयान में वह कहा था कि वह मारपीट और गाली गलौज होते हुए देखा था। वह झगड़ा को सिर्फ छोड़ाया है। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर पहचानने का दावा करता है कि वे बंटु साह की पत्नी है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहता है कि घटना के बारे में किससे जानकारी मिला , उसका नाम नहीं मालुम है। उसने अपने आंखो से घटना होते हुए नहीं देखा था।

Web Copy

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 3** रामो देवी हैं, अपने मुख्य परीक्षण में कहती है कि घटना बहुत दिन पहले की है। रात का समय था। उस समय वह अपने घर में सोयी हुई थी, कल होकर घटना के बारे में सुनी कि जमीरी साह एवं बन्टु साह के परिवार के बीच झगड़ा लड़ाई हुआ। इसके अलावा साक्षी को कुछ नहीं पता है।

अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराया गया है तथा अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि पुलिस के समक्ष दिये बयान में वह कही थी कि अपने घर के पास चापाकल के पास थी तो देखी कि गिरजा देवी, कमल साह, रविन्द्र साह, सावित्री देवी, बन्टु साह, पुनम देवी, जमीरी साह को गाली गलौज कर रही थी एवं उसके साथ लाठी डंडा के साथ मारपीट किया, जमीरी साह का बेटा बुधन साह जब छोड़ाने के लिए गया तो उसके साथ भी मारपीट करने लगा। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानने का दावा करती है और कहती है कि वह उसकी गोतनी है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहती है कि झगड़ा के बारे में वह किससे सुनी, उसे याद नहीं है। मारपीट में दोनों पक्ष को चोट लगा था। सूचक जमीरी साह की मृत्यु हो गयी है। साक्षी कहती है कि उसे नहीं मालुम है कि गिरजा देवी यह केस की है या नहीं। साक्षी ने अपने आंखो से घटना नहीं देखने की बात कही है।

<u>**सफाई बयान**</u>

8. अभियोजन पक्ष की सहमति के उपरांत **दिनांक 21.04.2026** को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया और **दिनांक 08.05.2026** को अभियुक्तगण का सफाई बयान लिया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने निर्दोष होने का दावा किया है। अभियुक्तगण / बचाव पक्ष के द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया है।

पूरे विचारण में अभियुक्तगण अपना बचाव इस आधार पर कर रहे हैं कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और रंजिश वश उन्हें झुठे मुकदमें में फंसाया गया है।

<u>**ब ह स**</u>

9. बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक का कहना था कि अभियोजन अपने वाद को साबित करने में सफल रहा है। अभियोजन की ओर से कुल तीन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें साक्षी संख्या 1 चिकित्सक हैं तथा साक्षी संख्या 2 और 3 को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कराया

Web Copy

गया है। विद्वान लोक अभियोजक का यह भी कहना था कि सूचक ने अपने आवेदन में कहा है कि दिनांक 26.11.2015 को आठ बजे रात में पुराना विवाद को लेकर उसके पट्टीदार बन्टु साह, उसकी पत्नी गिरजा देवी, कमल साह, रविन्द्र साह, रोहित कुमार, रामु कुमार, पुनम देवी तथा सावित्री देवी सभी एक राय करके सूचक के दरवाजे पर आकर गाली गलौज करने लगे तथा जब सूचक गाली देने से मना किया तो उसके साथ लाठी डंडे व फरसा से मारपीट कर उसे जख्मी कर दिये। सूचक के उपर कमल साह फरसा से वार किया तो सूचक दाहिना हाथ से फरसा रोकना चाहा तो फरसा हाथ से छुटकर सूचक के सिर पर लगा और वह जख्मी हो गया, तभी बन्टु साह लाठी से सूचक को मारा। जब सूचक का लड़का बुधन साह बचाने गया तो कमल साह पुनः उसके लड़का के उपर फरसा चलाया जो कि उसके सिर पर लगा तथा अन्य व्यक्ति फैट मुक्के से सूचक के साथ मारपीट किये। सूचक तथा उसका लड़का का ईलाज प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र कल्याणपुर में किया गया। विद्वान लोक अभियोजक का कहना था कि चिकित्सक साक्ष्य को छोड़कर बाकी दो अन्य साक्षी पक्षद्रोही घोषित कराये गये हैं लेकिन चिकित्सक साक्ष्य एवं बाकी दो साक्षियों के बयान से यह साबित होता है कि घटना अभियुक्तगण के द्वारा ही कारित की गयी है। अतः विद्वान लोक अभियोजक का कहना था कि प्राथमिकी अभियुक्तगण को दोष सिद्ध घोषित करते हुए उचित सजा दी जाय।

वहीं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि न्यायालय के फैसला का आधार सिर्फ ठोस सबुत होने चाहिए न कि कुछ अन्य। प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से कुल तीन साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें से साक्षी संख्या 2 और 3 को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कराया गया है और इन्होंने अभियोजनवाद का समर्थन नहीं किया है। अतः बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि अभियोजन अपने वाद को साबित करने में पुरी तरह विफल रहा है और अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने का हकदार हैं और उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाय।

विचारणीय बिन्दु

10. अब न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

Web Copy

म न्त व्य

11. किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले विचारण के दौरान आये साक्ष्य की विवेचना किया जाना आवश्यक है और तत्पश्चात् ही कोई निर्णय पर पहुँचा जा सकता है।

सूचक ने अपने प्राथमिकी आवेदन में कहा है दिनांक 26.11.2015 को आठ बजे रात में पुराना विवाद को लेकर उसके पट्टीदार बन्टु साह, उसकी पत्नी गिरजा देवी, कमल साह, रविन्द्र साह, रोहित कुमार, रामु कुमार, पुनम देवी तथा सावित्री देवी सभी एक राय करके सूचक के दरवाजे पर आकर गाली गलौज करने लगे तथा जब सूचक गाली देने से मना किया तो उसके साथ लाठी डंडे व फरसा से मारपीट कर उसे जख्मी कर दिये। सूचक के उपर कमल साह फरसा से वार किया तो सूचक दाहिना हाथ से फरसा रोकना चाहा तो फरसा हाथ से छुटकर सूचक के सिर पर लगा और वह जख्मी हो गया, तभी बन्टु साह लाठी से सूचक को मारा। जब सूचक का लड़का बुधन साह बचाने गया तो कमल साह पुनः उसके लड़का के उपर फरसा चलाया जो कि उसके सिर पर लगा तथा अन्य व्यक्ति फैट मुक्के से सूचक के साथ मारपीट किये। सूचक तथा उसका लड़का का ईलाज प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र कल्याणपुर में किया गया।

प्राथमिकी आवेदन में कही बातों को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 3 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया जिसमें से साक्षी संख्या 1 चिकित्सक है तथा साक्षी संख्या 2 और 3 को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कराया गया है। साक्षी संख्या 2 अपने मुख्य परीक्षण में कहता है कि इस कांड के सूचक जमीरी साह की मृत्य दो तीन साल पहले हो चुकी है तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में कहा है कि घटना होते हुए वह अपनी आंखो से नहीं देखा है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी संख्या 3 अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि घटना के बारे में वह कुछ नहीं जानती है तथा प्रतिपरीक्षण में कहती है कि सूचक जमीरी साह की मृत्यु हो चुकी है।

12. उपरोक्त विवेचना के आधार पर पाता हूँ कि ऐसा सबुत अभिलेख पर उपलब्ध नहीं जान पड़ता है जिससे कि अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जा सके। अतः

आदेश

अभियुक्त 1. गिरजा देवी, 2. कमल साह, 3. रविन्द्र साह तथा 4.

Web Copy

सावित्री देवी को भा0द0वि0 की धारा– 147,148, 448 / 149, 323 / 149 308 / 149 ,504 / 149 भा0द0वि0 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाता है तथा उन्हें स्वयं के बंध पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है तथा उनके प्रतिभूओं को भी बंध पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

अतः कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें और निर्णय की प्रति जिलाधिकारी, समस्तीपुर को भेजें।

निर्णय खुले न्यायालय में हिन्दी में सुनाया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित,

(समीर कुमार)
सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर।
20.06.2026

(समीर कुमार)
सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर।
20.06.2026

Web Copy

Date of Judgment / Order	20.06.2026
Date of Reserving Judgment / Order	06-06-2026
Uploading Date	23.06.2026
Uploaded by	Ashish kumar